कार्यालय, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001
ई–मेलः ayushmanuttarakhand@gmail.com

पत्रांक– अ0आ0उ0यो0/2019–20/५०५ दिनांकः २५ जुलाई 2019

जीवन ज्योति हॉस्पिटल, टिक्कमपुर–सुल्तानपुर, लक्सर रोड, हरिद्वार को निर्गत "कारण बताओ नोटिस" के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर के कम में प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में आदेश

जीवन ज्योति हॉस्पिटल, टिक्कमपुर–सुल्तानपुर, लक्सर रोड, हरिद्वार (Hospital ID: HOSP5P03202) द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध (Empanel) कराने हेतु निर्धारित प्रकिया के अनुसार राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) को ऑनलाइन आवेदन–पत्र दिया गया। उनके सूचीबद्धता हेतु आवेदन–पत्र को स्वीकार करते हुए जीवन ज्योति हॉस्पिटल एवं SHA के मध्य दिनांक 19.12.2018 को अनुबन्ध किया गया। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना को कार्यान्वित करने हेतु राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा नियुक्त की गयी "कियान्वयन सहायता ऐजेन्सी" (Implementation Support Agency- ISA) द्वारा जीवन ज्योति हॉस्पिटल के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं प्रमाणों का परीक्षण करने के उपरान्त यह विदित हुआ कि जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा कतिपय अनियमिततायें, अनुबन्ध का उल्लंघन, धोखाधड़ी एवं दुरभि संधि किया जाना प्रथम दृष्टतया प्रतीत होता है। अतः पत्रांक– अ0आ0उ0यो0/2019–20/80 दिनांक 23 अप्रैल, 2019 द्वारा विस्तृत जाँच हेतु डॉ0 अमलेश कुमार सिंह, सहायक निदेशक, SHA तथा डॉ0 मदन मोहन, मेडिकल ऑफिसर, ISA की दो सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया। जाँच समिति ने दिनांक 7 मई, 2019 को जीवन ज्योति अस्पताल का निरीक्षण किया। तत्पश्चात समिति द्वारा पत्रांक अ0आ0उ0यो0/2019–20/जाँच ऑख्या/गोपनीय 126–1 दिनांक 9 मई, 2019 द्वारा जाँच आख्या उपलब्ध करायी गयी। जाँच समिति द्वारा की गयी जाँच के दौरान जीवन ज्योति अस्पताल के संचालक श्री अरविन्द कुमार तथा डॉ0 जॉर्ज सेमुअल द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में लिखित उत्तर दिनांक 7 मई, 2019 को दिया गया।

जीवन ज्योति हॉस्पिटल पर लगाये गए आरोपों के सम्बन्ध में जाँच आख्या संलग्न करते हुए श्री अरविन्द कुमार, संचालक, जीवन ज्योति हॉस्पिटल को पत्रांक AAUY/2019–20/230 दिनांक 03.06.2019 को "कारण बताओ नोटिस" दिया गया। जीवन

25.07.19

ज्योति हॉस्पिटल द्वारा "कारण बताओ नोटिस" का उत्तर दिनांक 18.06.2019 को दिया गया। जीवन ज्योति हॉस्पिटल पर "कारण बताओ नोटिस" में लगाये गये आरोपों के संबंध में प्राप्त उत्तर के अध्ययन/परीक्षण के आधार पर विश्लेषण/निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:–

आरोप संख्याः 01:–

जीवन ज्योति अस्पताल द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्धता हेतु दिये गये आवेदन–पत्र में कुल 4 चिकित्सक कार्यरत दिखाये गये हैं, जिनमें डॉ0 जॉर्ज सेमुअल का नाम अंकित नहीं है। जाँच के दौरान डॉ0 जॉर्ज सेमुअल द्वारा यह लिखित कथन दिया गया है कि वे 1 मई, 2018 से जीवन ज्योति अस्पताल में 2.30 PM से 7. 30 PM तक अपनी सेवायें देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 जॉर्ज सेमुअल जीवन ज्योति अस्पताल के अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने के लिए किये गये अनुबन्ध दिनांक 20.12.2018 के पूर्व से ही जीवन ज्योति अस्पताल में कार्यरत हैं तथा यह तथ्य अस्पताल के संचालक द्वारा योजना के अन्तर्गत अपने अस्पताल को सूचीबद्ध कराने के आवेदन–पत्र में छिपाया गया, जो योजना के अन्तर्गत अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु किया गया है।

आरोप संख्या 01 का प्रतिउत्तरः–

कारण बताओ नोटिस के उत्तर में हॉस्पिटल के संचालक श्री अरविंद कुमार द्वारा यह अवगत कराया गया है कि डा0 जार्ज सैमुअल दिनांक 20.12.2018 से योजना में अनुबन्ध किये जाने से पूर्व से ही जीवन ज्योति हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। प्रतिउत्तर में यह भी कहा गया है कि डा0 जार्ज सैमुअल का नाम एवं अभिलेख "राज्य स्वास्थ्य अभिकरण" (SHA) के सिस्टम पर अपलोड करने का प्रयास किया, किंतु तकनीकी कठिनाई (Portal displayed that Dr. George Semual already registered in other hospital) के कारण यह संभव नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में बाद में यह पता चला कि डा0 जार्ज सैमुअल का नाम 'प्रिया हॉस्पिटल हरिद्वार' द्वारा धोखे से बिना डा0 सैमुअल की जानकारी के इम्पेनलमेन्ट हेतु दे दिया गया था जिसके संबंध में डा0 सैमुअल द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया था। ।

आरोप संख्या 01 के संबंध में विश्लेषण एवं निष्कर्षः–

कारण बताओ नोटिस के उत्तर के परीक्षण एवं जाँच आख्या के साथ संलग्न अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 जॉर्ज सेमुअल द्वारा यह लिखित रुप से स्वीकार किया गया था कि वे 1 मई, 2018 से जीवन ज्योति अस्पताल में 2.30 PM से 7.30 PM तक अपनी सेवायें देते हैं। हॉस्पिटल के संचालक श्री अरविंद कुमार द्वारा हॉस्पिटल पर लगाए गए उक्त आरोप के

25.07.19

संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि उनके द्वारा डा0 जार्ज सैमुअल का नाम एवं अभिलेख "राज्य स्वास्थ्य अभिकरण" (SHA) के सिस्टम पर अपलोड करने का प्रयास किया, किंतु तकनीकी कठिनाई के कारण यह संभव नहीं हो सका। स्पष्टीकरण में यह भी बताया गया है कि एक अन्य निजी अस्पताल, "प्रिया हॉस्पिटल, धनपुरा, हरिद्वार" द्वारा डा0 जार्ज सैमुअल का नाम बिना उनकी जानकारी/सहमति से अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (AAUY) के अंतर्गत सूचीबद्धता (Empanelment) हेतु ऑनलाईन आवदेन–पत्र में दिखा दिया गया था, जिसके संबंध में डा0 सैमुअल द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया था।

अभिलेखों का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि डा0 सैमुअल द्वारा SHA को उक्त के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी। जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा भी SHA को कोई सूचना नहीं दी गई कि डा0 सैमुअल के नाम को SHA के सिस्टम पर अपलोड किये जाने में कोई कठिनाई आ रही है। अतः प्रथम आरोप के संबंध में जीवन ज्योति हॉस्पिटल का उत्तर नितांत असंतोषजनक है और यह आरोप सिद्ध होता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रिया अस्पताल, धनपुरा, हरिद्वार के विरुद्ध अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में की गयी अनियमितताओं/धोखाधड़ी के संबंध में कोतवाली, लक्सर, जिला हरिद्वार में पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड के माध्यम से दिनांक 16.07.2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करायी गयी है, जिसमें अन्य विषयों के अतिरिक्त यह आरोप भी है कि डा0 जार्ज सैमुअल प्रिया अस्पताल में एकमात्र डाक्टर के रुप में कार्यरत रहे हैं तथा डा0 सैमुअल तथा प्रिया अस्पताल के संचालक श्री सनी दत्त सैनी द्वारा दुरभि संधि करके अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत धोखाधड़ी द्वारा अवैधानिक क्लेम प्राप्त किये गये हैं।

आरोप संख्याः 02:–

डॉ0 जॉर्ज सेमुअल जहाँ एक ओर जीवन ज्योति अस्पताल में कार्यरत हैं, वहीं दूसरी ओर वे राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) में भी संविदा पर पूर्णकालिक चिकित्सक के रूप में तैनात हैं। डॉ0 जॉर्ज सेमुअल द्वारा जाँच के दौरान अपने लिखित कथन दिनांक 7 मई, 2019 में यह स्वीकार किया गया है कि वे मई, 2015 से 10 जुलाई, 2018 तक PHC,रायसी, हरिद्वार, 01.11.2018 से 16 मार्च, 2019 तक PHC, ढण्डेरा, हरिद्वार तथा 18 मार्च, 2019 से अतिथि तक PHC, रायसी, हरिद्वार में संविदा पर पूर्णकालिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत रहे तथा वर्तमान में भी वे PHC रायसी, हरिद्वार में कार्यरत हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जीवन ज्योति अस्पताल के संचालक द्वारा अपने अस्पताल को योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध कराने हेतु

न केवल यह तथ्य छिपाया गया कि जीवन ज्योति अस्पताल में डॉ0 जॉर्ज सेमुअल कार्यरत हैं, वरन यह भी छिपाया गया कि वे ऐसे चिकित्सक (डॉ0 जॉर्ज सेमुअल) की सेवायें पूर्व से ही ले रहे हैं जो राजकीय प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में पूर्णकालिक रूप में सेवारत हैं। अतः यह प्रतीत होता है कि जीवन ज्योति अस्पताल तथा डॉ0 जॉर्ज सेमुअल द्वारा षडयंत्र/दुरभि संधि की गयी है और अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत अवैधानिक लाभ प्राप्त किया गया है।

आरोप संख्या 02 का प्रतिउत्तरः–

जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा इस आरोप के संबंध में यह स्वीकार किया गया है कि डा0 जार्ज सैमुअल जो राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायसी, जिला हरिद्वार में संविदा पर पूर्णकालिक चिकित्सक के रुप में कार्यरत थे, वे जीवन ज्योति हॉस्पिटल में भी कार्य करते थे, किंतु उन्होंने स्पष्टीकरण में किसी दुरभि संधि/धोखाधड़ी से इंकार किया है।

आरोप संख्या 02 के संबंध में विश्लेषण एवं निष्कर्षः–

अभिलेखों का परीक्षण करने पर यह आरोप संख्या 02 सिद्ध होता है कि डा0 जार्ज सैमुअल एक ओर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायसी में पूर्णकालिक चिकित्सक के रुप में कार्यरत थे, वहीं दूसरी ओर वे जीवन ज्योति हॉस्पिटल में भी कार्यरत थे। जहाँ तक दुरभि संधि/धोखाधड़ी करके आपराधिक कृत्य किये जाने का विषय है, इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर अलग से कार्रवाई की जायेगी।

आरोप संख्याः 03:–

जीवन ज्योति अस्पताल द्वारा योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध कराने हेतु दिये गये आवेदन–पत्र में डॉ0 राजीव पांडे, MBBS को DUTY Doctor के रूप में दर्शाया गया है। जीवन ज्योति अस्पताल द्वारा सूचीबद्ध कराने हेतु आवेदन–पत्र में एक अन्य MBBS चिकित्सक डॉ0 केजिया को Specialist Doctor के रूप में भी अंकित किया गया है। जीवन ज्योति अस्पताल के संचालक द्वारा जाँच के दौरान अपने लिखित कथन दिनांक 07.05.2019 में यह अंकित किया गया है कि डॉ0 राजीव पांडे तथा डॉ0 केजिया दोनों ही जीवन ज्योति अस्पताल को जनवरी, 2019 में ही छोड़ चुके हैं। जीवन ज्योति अस्पताल द्वारा डॉ0 राजीव पांडे तथा डॉ0 केजिया के अस्पताल छोड़ने की कोई सूचना राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को नहीं दी गयी। इस प्रकार जो चिकित्सक कार्यरत नहीं हैं, उन्हें अस्पताल में कार्यरत दिखाना योजना की सूचीबद्धता (Empanelment) गाईडलाइन्स के प्रविधानों का उल्लंघन है। अतः जीवन ज्योति अस्पताल द्वारा अनुबन्ध की शर्त का उल्लंघन किया गया है।

आरोप संख्या 03 का प्रतिउत्तरः–

5.07.19

कारण बताओ नोटिस के उत्तर में जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा उक्त आरोप स्वीकार कर लिया गया है। साथ में यह भी कहा है कि इस संबंध में वे SHA को सूचित करना भूल गये और उनके द्वारा deliberately गाईडलाईन्स के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

आरोप संख्या 03 के संबंध में विश्लेषण एवं निष्कर्षः–

जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा यह आरोप स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही इस संबंध में दिया गया clarification स्वीकार योग्य नहीं है। अतः यह आरोप सिद्ध होता है।

आरोप संख्याः 04:–

जीवन ज्योति अस्पताल द्वारा अपने अस्पताल को सूचीबद्ध कराने हेतु दिये गये आवेदन–पत्र में डॉ0 राजीव पांडे, MBBS को "Round the Clock MBBS Duty Doctor" के रूप में उपलब्ध होना दर्शाया है। जीवन ज्योति अस्पताल के संचालक द्वारा जाँच के दौरान अपने लिखित कथन दिनांक 07.05.2019 में यह बताया है कि डॉ0 राजीव पांडे, जनवरी, 2019 में जीवन ज्योति अस्पताल को छोड़ चुके हैं। उक्त से यह स्पष्ट है कि जीवन ज्योति अस्पताल में कोई भी "Round the Clock MBBS Doctor" उपलब्ध नहीं है क्योंकि डॉ0 राजीव पांडे के पश्चात कोई भी MBBS Duty Doctor जीवन ज्योति अस्पताल में कार्यरत नहीं है। यह जीवन ज्योति अस्पताल द्वारा सूचीबद्धता गाईडलाइन्स तथा अनुबन्ध का स्पष्ट उल्लघंन है।

आरोप संख्या 04 का प्रतिउत्तरः–

कारण बताओ नोटिस के इस आरोप को जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा अपने उत्तर में स्वीकार कर लिया गया है।

आरोप संख्या 04 के संबंध में विश्लेषण एवं निष्कर्षः–

जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा यह आरोप स्वीकार कर लिया गया है। अतः यह आरोप सिद्ध होता है।

आरोप संख्याः 05:–

जीवन ज्योति अस्पताल द्वारा नीचे दी गई तालिका में वर्णित 7 मरीजों का उपचार जिन रेफरल के आधार पर किया गया है, उन पर न तो किसी के हस्ताक्षर हैं और न ही कोई मोहर लगी है।

15.07.19

तालिका– 7 मरीजों का विवरण जिनका उपचार ऐसे रेफरल के आधार पर किया गया है, जिन पर न तो किसी के हस्ताक्षर हैं और न ही कोई मोहर लगी है।

S.No.	Case No.	Name	Pre-Auth approved amount	Paid / Unpaid
1.	CASE/HOSP5P03202/D3399	Rukshana	5000	Paid
2.	CASE/HOSP5P03202/E9661	Tahar Singh	5000	Paid
3.	CASE/HOSP5P03202/S11234	Sharifan	5000	Paid
4.	CASE/ HOSP5P03202/D9644	Prakash Chand	5000	Paid
5.	CASE/HOSP5P03202/S1471	Madan	5000	Paid
6.	CASE/HOSP5P03202/D2432	Shamshad	5000	Paid
7.	CASE/HOSP5P03202/D2444	Khairunisha	5000	Paid
		Total	**35000**	

ये 7 रेफरल PHC, लक्सर के Slip पर निर्गत हुऐ हैं (श्रीमती रूखसाना, पंजीकरण संख्या 30298, श्री ताहर सिंह, पंजीकरण संख्या 30898, श्री सरिफम, पंजीकरण संख्या 34026, श्री प्रकाश, पंजीकरण संख्या 31907, श्री मदन पंजीकरण संख्या 28794, श्री शमशाद, पंजीकरण संख्या 29794 तथा श्रीमती खेरूनिशा, पंजीकरण संख्या 29795)। इन सभी रेफरल पर हस्ताक्षर तथा मोहर नहीं होना जीवन ज्योति अस्पताल के संचालक द्वारा जाँच के दौरान अपने लिखित कथन दिनांक 07.05.2019 में स्वीकार किया गया है। ये 7 रेफरल, वैध रेफरल नहीं हैं।

जीवन ज्योति अस्पताल द्वारा वैध रेफरल के आधार पर ही मरीजों का उपचार किया जा सकता है । जीवन ज्योति अस्पताल तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुए अनुबन्ध के सेक्शन 2 पैरा 4 (iv) f में निम्न प्रविधान हैः–

"Section 2: Scope of Services Para 4 (IV) f: packages as mentioned in Annex 2 can only be availed in private EHCPs only after a Referral from a Public EHCP is made."

अतः जीवन ज्योति अस्पताल द्वारा बिना हस्ताक्षर/मोहर के रेफरल के आधार पर मरीजों का उपचार करना अनुबन्ध का स्पष्ट उल्लंघन है। यह कृत्य जीवन ज्योति अस्पताल तथा रेफरिंग अस्पताल के मध्य दुरभि संधि/षडयंत्र एवं धोखाधड़ी का संदेह भी उत्पन्न करता है।

आरोप संख्या 05 का प्रतिउत्तरः–

यद्यपि जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा उक्त आरोप स्वीकार कर लिया गया है, किंतु अपने स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि यह minor प्रकृति का आरोप है, अतः मरीजों के

25.07.19

interest में इसे overlook कर दिया जाये। स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया है कि emergency में बिना रेफरल के भी मरीज का ईलाज किया जा सकता है।

आरोप संख्या 05 के संबंध में विश्लेषण एवं निष्कर्षः–

आरोप के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण नितान्त असंतोषजनक है। उत्तर में यह झूठा कथन दिया गया है कि इन मरीजों का emergency में ईलाज किया गया है, जो कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुमन्य है। वास्तविक्ता यह है कि इस आरोप में उल्लेख किये गये सभी 07 मरीजों की "कैटरैक्ट" की सर्जरी की गयी है, जो एक "Planned" ईलाज होता है। जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा उत्तर में Emergency ईलाज का उल्लेख करके अपना बचाव करना गुमराह करने का असफल प्रयास है। जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा रेफरल (जो कि वैध नहीं हैं) के आधार पर मरीजों का ईलाज करके क्लेम्स प्राप्त करना ही यह सिद्ध कर देता है कि अस्पताल द्वारा Planned cases के रुप में मरीजों का ईलाज किया गया है।

जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा ऐसे रेफरल के आधार पर मरीजों का ईलाज किया गया है, जिन पर न तो किसी के हस्ताक्षर हैं और न ही किसी की मोहर है। ऐसे रेफरल को किसी भी दशा में वैध रेफरल नहीं कहा जा सकता। ऐसे रेफरल के आधार पर ईलाज करके क्लेम्स अनुमन्य नहीं है, जैसा कि अनुबंध के उक्त प्राविधान में स्पष्ट उल्लेख है।

जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया जाना कि बिना हस्ताक्षर/मोहर की रेफरल के आधार पर ईलाज करके क्लेम प्राप्त कर लेना एक minor त्रुटि है, कतई स्वीकार योग्य नहीं है। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध (empanel) करके एक अनुबंध किया गया है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही मरीजों का ईलाज करके योजना के अंतर्गत क्लेम लिये जा सकते हैं। योजना के अंतर्गत किये गए अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं करने पर क्लेम देय नहीं हो सकते हैं। अतः अवैध रेफरल के आधार पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल को इस आरोप में उल्लेख किये गए 07 मरीजों के ईलाज का क्लेम अनुमन्य नहीं है। जहाँ तक जीवन ज्योति हॉस्पिटल/रेफरिंग अस्पताल के मध्य दुरभि संधि/षड़यंत्र एवं धोखाधड़ी करके अवैधानिक क्लेम लिए जाने का विषय है, इसके संबंध में आपराधिक कृत्य किये जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर पृथक से कार्रवाई की जायेगी।

25.07.15

आरोप संख्याः 06:–

जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा प्रस्तुत किये गये क्लेम में 38 केसेस् में Pre-Authorisation के Approval का समय रात्रि में 9 PM या उसके बाद का है। इन सभी केसेस् में सर्जरी उसी दिन की गयी है, जो अत्यन्त संदेहास्पद है।

उक्त 38 केसेस् का विवरण निम्न प्रकार हैः–

Table: JEEVAN JYOTI HOSPITAL, HARIDWAR Preauthorization Approved after 9.00 PM, Up to Date 24-May-19

S. No	Case No	Age(Years)	Speciality	Preauth Initiation Date and Time	Preauth Approve Date and Time	Surgery Date [Time not mentioned by Hospital]	Pre-Auth approved amount	Paid/ Unpaid
1.	CASE/HOSP5P03202/D1 2045	70	Ophthalmology	28/02/2019 04:50:05 PM	28/02/2019 10:55:42 PM	28-02-2019	5000	Paid
2.	CASE/HOSP5P03202/D1 2767	68	Ophthalmology	02/03/2019 04:52:12 PM	02/03/2019 10:49:03 PM	02-03-2019	5000	Paid
3.	CASE/HOSP5P03202/D1 2777	51	Ophthalmology	02/03/2019 05:09:33 PM	02/03/2019 11:12:33 PM	02-03-2019	5000	Paid
4.	CASE/HOSP5P03202/D1 3477	79	Ophthalmology	05/03/2019 05:44:28 PM	05/03/2019 09:28:09 PM	05-03-2019	5000	Paid
5.	CASE/HOSP5P03202/D1 3486	69	Ophthalmology	05/03/2019 05:52:15 PM	05/03/2019 09:47:54 PM	05-03-2019	5000	Paid
6.	CASE/HOSP5P03202/D1 3492	69	Ophthalmology	05/03/2019 06:02:24 PM	05/03/2019 10:21:46 PM	05-03-2019	5000	Paid
7.	CASE/HOSP5P03202/D1 5086	40	Ophthalmology	09/03/2019 05:50:43 PM	09/03/2019 09:07:37 PM	09-03-2019	5000	Paid
8.	CASE/HOSP5P03202/E15 092	68	Ophthalmology	09/03/2019 05:55:23 PM	09/03/2019 09:12:55 PM	09-03-2019	5000	Paid
9.	CASE/HOSP5P03202/D1 7988	69	Ophthalmology	16/03/2019 06:09:07 PM	16/03/2019 10:28:15 PM	16-03-2019	9000	Paid
10.	CASE/HOSP5P03202/D1 7991	40	Ophthalmology	16/03/2019 06:13:02 PM	16/03/2019 10:30:40 PM	16-03-2019	9000	Paid
11.	CASE/HOSP5P03202/D1 7994	44	Ophthalmology	16/03/2019 06:17:28 PM	16/03/2019 10:34:12 PM	16-03-2019	5000	Paid
12.	CASE/HOSP5P03202/D1 8001	63	Ophthalmology	16/03/2019 06:40:58 PM	16/03/2019 11:24:58 PM	16-03-2019	5000	Paid
13.	CASE/HOSP5P03202/D1 8003	64	Ophthalmology	16/03/2019 06:49:54 PM	16/03/2019 11:26:28 PM	16-03-2019	5000	Paid
14.	CASE/HOSP5P03202/D1 8011	79	Ophthalmology	16/03/2019 07:02:50 PM	16/03/2019 11:31:56 PM	16-03-2019	5000	Paid
15.	CASE/HOSP5P03202/D1 8012	51	Ophthalmology	16/03/2019 07:06:34 PM	16/03/2019 11:33:58 PM	16-03-2019	5000	Paid
16.	CASE/HOSP5P03202/E18 014	71	Ophthalmology	16/03/2019 07:10:26 PM	16/03/2019 11:34:37 PM	16-03-2019	5000	Paid
17.	CASE/HOSP5P03202/D2 7067	69	Ophthalmology	26/03/2019 04:44:45 PM	26/03/2019 09:45:55 PM	26-03-2019	5000	Paid
18.	CASE/HOSP5P03202/S30 257	74	Ophthalmology	28/03/2019 06:15:46 PM	28/03/2019 09:43:12 PM	28-03-2019	5000	Paid
19.	CASE/HOSP5P03202/S30 351	54	Ophthalmology	28/03/2019 07:09:38 PM	28/03/2019 10:21:11 PM	28-03-2019	5000	Paid
						Total	103000	
20.	CASE/HOSP5P03202/D1 7987	67	Ophthalmology	16/03/2019 06:04:17 PM	16/03/2019 10:23:40 PM	16-03-2019	9000	Unpaid
21.	CASE/HOSP5P03202/D1 7999	57	Ophthalmology	16/03/2019 06:35:23 PM	16/03/2019 11:15:19 PM	16-03-2019	5000	Unpaid
22.	CASE/HOSP5P03202/D1 8007	65	Ophthalmology	16/03/2019 06:57:51 PM	16/03/2019 11:31:11 PM	16-03-2019	5000	Unpaid
23.	CASE/HOSP5P03202/D3	61	Ophthalmology	28/03/2019	28/03/2019	28-03-2019	5000	Unpaid

25.07.19

	0209			05:50:40 PM	09:15:21 PM			
24.	CASE/HOSP5P03202/D3 0226	102	Ophthalmology	28/03/2019 05:55:49 PM	28/03/2019 09:25:08 PM	28-03-2019	5000	Unpaid
25.	CASE/HOSP5P03202/D3 0241	67	Ophthalmology	28/03/2019 06:06:28 PM	28/03/2019 09:41:05 PM	28-03-2019	5000	Unpaid
26.	CASE/HOSP5P03202/E36 739	71	Ophthalmology	02/04/2019 05:41:29 PM	02/04/2019 09:03:20 PM	02-04-2019	5000	Unpaid
27.	CASE/HOSP5P03202/D3 6750	46	Ophthalmology	02/04/2019 05:49:05 PM	02/04/2019 09:11:26 PM	02-04-2019	5000	Unpaid
28.	CASE/HOSP5P03202/D3 6774	65	Ophthalmology	02/04/2019 05:54:15 PM	02/04/2019 09:17:57 PM	02-04-2019	5000	Unpaid
29.	CASE/HOSP5P03202/D4 2733	65	Ophthalmology	06/04/2019 06:45:44 PM	06/04/2019 09:17:42 PM	06-04-2019	9000	Unpaid
30.	CASE/HOSP5P03202/D4 2757	65	Ophthalmology	06/04/2019 06:49:51 PM	06/04/2019 09:20:59 PM	06-04-2019	5000	Unpaid
31.	CASE/HOSP5P03202/D4 2777	63	Ophthalmology	06/04/2019 06:54:01 PM	06/04/2019 09:25:09 PM	06-04-2019	5000	Unpaid
32.	CASE/HOSP5P03202/D4 2789	69	Ophthalmology	06/04/2019 06:58:18 PM	06/04/2019 09:27:07 PM	06-04-2019	5000	Unpaid
33.	CASE/HOSP5P03202/E52 622	54	Ophthalmology	18/04/2019 05:16:17 PM	18/04/2019 11:19:51 PM	18-04-2019	5000	Unpaid
34.	CASE/HOSP5P03202/D5 7786	59	Ophthalmology	18/04/2019 05:22:40 PM	18/04/2019 11:34:51 PM	18-04-2019	5000	Unpaid
35.	CASE/HOSP5P03202/D5 7804	71	Ophthalmology	18/04/2019 05:29:52 PM	18/04/2019 11:34:51 PM	18-04-2019	5000	Unpaid
36.	CASE/HOSP5P03202/D5 7825	66	Ophthalmology	18/04/2019 05:36:33 PM	18/04/2019 11:49:51 PM	18-04-2019	5000	Unpaid
37.	CASE/HOSP5P03202/D5 7843	77	Ophthalmology	18/04/2019 05:43:15 PM	18/04/2019 11:49:51 PM	18-04-2019	5000	Unpaid
38.	CASE/HOSP5P03202/S57 857	54	Ophthalmology	18/04/2019 05:49:43 PM	18/04/2019 11:49:51 PM	18-04-2019	5000	Unpaid
						Total	103000	

उपरोक्त तालिका से यह विदित होता है कि उक्त **38 केसेस में 4.50 PM से लेकर 7. 10 PM के मध्य प्री–ऑथ इनिशियेट किया गया है तथा प्री–ऑथ एप्रुवल उसी दिन रात्रि 9.07 PM से 11.50 PM को दी गयी है,** किन्तु सर्जरी उसी दिन कर दी गयी है, जो नितान्त संदेहास्पद है।

उक्त आरोप के सम्बन्ध में जीवन ज्योति अस्पताल के संचालक द्वारा जाँच के दौरान अपने लिखित उत्तर दिनांक 07.05.2019 में निम्न स्पष्टीकरण दिया गया है:–

"जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2019 तक प्रस्तुत 93 क्लेम्स में नेत्र व्याधियों का उपचार किया गया। सभी मरीजों के सम्बन्धित दस्तावेज आयुष्मान पोर्टल पर भेजने के बाद लगभग कुछ समय अप्रुवल का इन्तजार किया और लगभग 01 घण्टा अप्रुवल प्रतीक्षा करने के बाद सभी मरीजों को उपचार दिया जिसमें सबसे देरी से हुई सर्जरी का समय लगभग रात्रि 09:45 है। अस्पताल द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के क्लेम्स के अन्तर्गत सभी मरीजों को योजना का लाभ देते हुए ईलाज दिया गया और जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी/षड़यंत्र/दुरभि सन्धि नहीं की गयी। यदि अस्पताल द्वारा भूलवश किसी

प्रकार की कोई गलती पाई गई हो तो अस्पताल गलती के लिए क्षमा प्रार्थी है। और भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी"।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जीवन ज्योति अस्पताल तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुए अनुबन्ध के सेक्शन 4 पैरा 2 (ii) में निम्न प्रविधान

"Section 4: EHCP Services-Admission procedure,

Para 2. Pre-Authorisation, (ii).NO EHCP shall, Under any circumstances whatsoever, undertake any such earmarked procedure without pre Authorisation unless under emergency. Process for emergency approval will be followed as per guidelines laid down under ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND."

जीवन ज्योति अस्पताल द्वारा प्री– ऑथ एप्रुवल से पूर्व सर्जरी किया जाना अनुबन्ध की उक्त शर्त का स्पष्ट उल्लघंन है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नेत्र से सम्बन्धित मोतियाबिन्द (Cataract Surgery) एक आपातकालीन (Emergency) सर्जरी नहीं है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जीवन ज्योति अस्पताल द्वारा उपरोक्त वर्णित 38 मामलों में बिना कोई एमरजेन्सी के देर रात्रि में Pre-Authorisation की Approval प्राप्त होने के पूर्व ही सर्जरी कर दी गयी है, जैसा कि जीवन ज्योति अस्पताल के संचालक द्वारा अपने उत्तर में भी स्वीकार किया गया है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जीवन ज्योति अस्पताल तथा SHA के मध्य हुए अनुबन्ध के अनुसार Pre-Authorisation की Request भेजने के उपरान्त SHA द्वारा नियुक्त ISA द्वारा अधिकतम 4 घंटे में (एमरजेन्सी की दशा में 2 घंटे में) Pre-Authorisation की Approval दिये जाने का प्राविधान है।

उक्त विवरण से यह सिद्ध होता है कि मोतियाबिंद (Cataract) जैसी सामान्य सर्जरी में Approval के लिए 4 घंटे इन्तजार नहीं करना और Pre-Authorisation प्राप्त किये बिना सर्जरी करना न केवल अनुबन्ध का स्पष्ट उल्लंघन है, वरन् यह धोखाधड़ी करके योजना के अन्तर्गत अवैधानिक क्लेम लिए जाने का भी कृत्य है।

आरोप संख्या 06 का प्रतिउत्तरः–

इस आरोप के संबंध में जीवन ज्योति हॉस्पिटल का स्पष्टीकरण आरोप के उक्त विवरण में उल्लिखत है। "कारण बताओ नोटिस" के उत्तर में जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा अतिरिक्त रुप में यह भी उल्लेख किया गया है कि अनुबंध में Emergency संबंधी clause में यह Cataract सर्जरी की गयी हैं। अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।

आरोप संख्या 06 के संबंध में विश्लेषण एवं निष्कर्षः–

जीवन ज्योति हॉस्पिटल का स्पष्टीकरण नितान्त असंतोषजनक तथा स्वीकार योग्य नहीं है। इस आरोप में वर्णित ईलाज Cataract सर्जरी का है। Cataract सर्जरी एक planned सर्जरी है। यह Emergency ईलाज नहीं है। आरोप में वर्णित सभी 38 सर्जरी के लिए जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा रेफरल भी प्राप्त किये गये। कोई भी मरीज emergency में नहीं आया था।

जीवन ज्योति हॉस्पिटल द्वारा सांयकाल 4.50 PM से लेकर 7.10 PM के मध्य प्री–ऑथ इनिशियेट किये गए। अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्री–ऑथ का अप्रूवल इमरजेंसी की दशा में 2 घंटे के अंदर तथा Planned case की दशा में 4 घंटे के अंदर कर दिया जाता है। आरोप में वर्णित सभी 38 केसेस में उसी दिन रात्रि में लगभग 9:00 PM से 11.50 PM के मध्य अप्रूवल दे दिया गया। जीवन ज्योति हॉस्पिटल का यह स्पष्टीकरण कि प्री–ऑथ को इनिशियेट करने के बाद एक घंटा इंतजार किया गया और फिर सर्जरी कर दी गई, न केवल अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है, वरन् योजना को अपने मन–माने ढ़ंग से चलाने और अवैधानिक क्लेम प्राप्त करने का कुत्सित प्रयास है। साँयकाल को प्री–ऑथ इनिशियेट करना और अप्रूवल के पूर्व ही देर रात्रि में सर्जरी कर देना न केवल असामान्य है और यह देखते हुए कि ये केसेस इमरजेंसी के नहीं थे, हॉस्पिटल के संपूर्ण उपचार को संदिग्ध बना देता है। अतः जीवन ज्योति हॉस्पिटल का स्पष्टीकरण अमान्य है, यह आरोप पूर्णतया सिद्ध है और अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध किये गये क्लेम अनुमन्य नहीं हैं। जहाँ तक धोखाधड़ी/संदिग्ध उपचार का विषय है, के संबंध में आपराधिक कृत्य हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा कर पृथक से कार्रवाई की जायेगी।

–आदेश–

जीवन ज्योति हॉस्पिटल, टिक्कमपुर–सुल्तानपुर, लक्सर रोड, हरिद्वार को आदेश संख्या अ0आ0उ0यो0/2019–20/230 दिनांक 03 जून 2019 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के कम में लगाये गये 6 आरोपों के कम में उनके द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर के परीक्षण व निष्कर्ष के उपरान्त सभी 06 आरोप, आरोप संख्या 1 से लेकर 6 तक की पुष्टि होती है। तद्नुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) की गाइडलाइन्स, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) के साथ अनुबन्ध की शर्तों के पालन न होने तथा धोखाधड़ी (Fraud) के आधार पर योजना के अन्तर्गत सूचीबद्धता (Empanelment) हेतु अनुबन्ध किये जाने को दृष्टिगत रखते हुये निम्न आदेश पारित किये जाते है–

i. जीवन ज्योति हॉस्पिटल, टिक्कमपुर–सुल्तानपुर, लक्सर रोड, हरिद्वार की सूचीबद्धता तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उसका de-empanelment किया जाता है।

ii. जीवन ज्योति हॉस्पिटल, हरिद्वार के आरोप संख्या 05 एवं 06 में वर्णित कुल **45 केसों** (धनराशि **रु0 241000/–**) के क्लेम निरस्त किये जाते है।

iii. जीवन ज्योति हॉस्पिटल, हरिद्वार के कुल 45 केसेस में से 19 केसेस की धनराशि रू0 103000/– जो उनके द्वारा क्लेम की गई है और जिसका अभी भुगतान नहीं किया गया है, के क्लेम निरस्त किये जाते है, यह धनराशि हॉस्पिटल को देय नहीं होगी।

iv. उपरोक्त कुल 45 केसेस में से **26 केसेस की धनराशि रू0 138000/–** जो जीवन ज्योति हॉस्पिटल, हरिद्वार द्वारा प्राप्त की जा चुकी है, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को 7 दिन में वापिस करे।

v. आरोप संख्या 05 व 06 में वर्णित कुल 26 केसेस में क्लेम की गई धनराशि रु0 138000/– जो कि हॉस्पिटल द्वारा प्राप्त की जा चुकी है, पर **दो गुना दण्ड रु0 276000/–** भी लगाया जाता है।

vi. इस आदेश के बिंदु (iv), (v) में वर्णित **कुल धनराशि रू0 414000/– को** जीवन ज्योति हॉस्पिटल, लक्सर रोड, हरिद्वार **इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 7 दिन के अंदर राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को "CEO ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND YOJANA" के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा HDFC Bank, Account no. 50100102180582, IFSC code: HDFC 0000225 में RTGS/ NEFT के माध्यम से वापिस करना सुनिश्चित करें।** RTGS/ NEFT के माध्यम से उक्त धनराशि वापिस करने की दशा में Unique Transaction ID इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

vii. निर्धारित अवधि के अन्दर उक्त धनराशि वापिस न करने पर **नियमानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।**

इस आदेश को श्री अरविन्द कुमार, संचालक जीवन ज्योति हॉस्पिटल, टिक्कमपुर–सुल्तानपुर, लक्सर रोड, हरिद्वार को ई–मेल से तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

25.01.19

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक–प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. Insurance Regulatory and Development Authority of India, Sy No. 115/1, Financial District, Manakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032 को इस अनुरोध के साथ कि वे सभी सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. नोडल अधिकारी, आई0ई0सी0 को इस अनुरोध के साथ कि वे जन–साधारण को जीवन ज्योति हॉस्पिटल, टिक्कमपुर–सुल्तानपुर, लक्सर रोड, हरिद्वार की सूचीबद्धता समाप्त होने से अवगत कराने हेतु प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. जिला अधिकारी, जनपद हरिद्वार।
3. समस्त निदेशक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA)।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद हरिद्वार।
5. राज्य समन्वयक, कियान्वयन सहायता एजेंसी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
6. श्री अरविन्द कुमार, संचालक, जीवन ज्योति हॉस्पिटल, टिक्कमपुर–सुल्तानपुर, लक्सर रोड, हरिद्वार ।
7. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक–प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना